

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-170/2018 प्रार्थना पत्र

- 1-श्री भैरूलाल पिता देवा खारोल, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 2-श्री नारायण पिता देवा खारोल, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 3-बरजी पुत्री देवा खारोल, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 4-श्रीमति बदाम बाई पत्नि भैरूलाल खारोल, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रार्थीगण

बनाम

- 1-श्री भागीरथ पिता रतन गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 2-श्री नारायण पिता जयराम गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 3-श्री बालकिशन पिता माधूदास वैष्णव, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 4-श्री भैरू पिता गंगाराम गूजर, उम्र बालिग, निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 5-श्री भेना पिता गंगाराम गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 6-श्री रूपा पिता भागीरथ गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 7-श्रीमति गणी पत्नि बल्ला गूजर, उम्र बालिग निवासी रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 8-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-11.3.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 482, 486, 487, 476, 488 कुल कितना 5 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण ने वेदादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 22.6.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 4, से 7 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 4 से 7 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 2, 4 से 7 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 29.6.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 3 व 8 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 3 व 8 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 27.2.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः
:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 482, 486, 487, 476, 488 कुल कित्ता 5 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये न्यू-अभिलेख निरीक्षक, गुरंला को 750/-रूपये (सात सौ पचास रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर अधिकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला, भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 11.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला, भीलवाड़ा

